अधिसूचना सं0 8/2016- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी) नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सा.का.नि._____(अ).-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये नियम 2, नियम 3, नियम 4 और नियम 7, जो 1 मार्च, 2016 को प्रवृत्त होंगे तथा नियम 5 के खंड (v) के उपबंध तथा नियम 6, ये उस तारीख से प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, के सिवाए 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 7 में उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(4) निर्धारिती अनंतिम निर्धारण के अधीन माल पर संदत्त या संदेय किसी रकम पर ब्याज देने का दायी होगा किन्तु नियत तारीख के पश्चात् पहले दिन से आरंभ होने वाली और वास्तविक संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए, चाहे ऐसी रकम अंतिम निर्धारण के आदेश के जारी होने के पूर्व या पश्चात् संदत्त की गई है, अधिनियम की धारा 11कक के अधीन अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर यथास्थिति नियम 8 के उपनियम (1) और उसके प्रथम परंतुक के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को संदत्त नहीं किया था ।

स्पष्टीकरण: शंका को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि जनवरी, 2015 मास में निकास किए गए अनंतिम निर्धारण के अधीन माल पर 5000/-रु0 का अनंतिम शुल्क 6 फरवरी, 2015 [नियम 8 के उपनियम (1) नियत तारीख] को संदत्त किया गया, 9000/-रु0 का अतिरिक्त शुल्क 15 अप्रैल, 2015 को संदत्त किया गया और उसी दिन निर्धारिती द्वारा अंतिम निर्धारण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए गए । माल पर संदेय शुल्क 15000/- रु0 निर्धारित करते हुए 18 जून, 2015

को अंतिम निर्धारण आदेश जारी किया गया और परिणामत: निर्धारिती 30 जून, 2015 को 1000/- रु0 का शुल्क अदा करता है, तो 5000/- रु0 पर कोई ब्याज संदेय नहीं होगा, ब्याज 7 फरवरी, 2015 से 15 अप्रैल, 2015 तक 9000/-रु0 पद संदेय होगा और ब्याज 7 फरवरी, 2015 से 30 जून, 2015 तक 1000/-रु0 पर संदेय होगा क्योंकि 15000/-रु0 के शुल्क के संदाय की नियत तारीख 6 फरवरी, 2015 है ।"।

3. उक्त नियम के नियम 8 के दूसरे परंतुक में स्पष्टीकरण-1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

"स्पष्टीकरण–शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है,-

(क) टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय शीर्ष 7113 के अधीन आने वाले रजत आभूषण की वस्तुओं से भिन्न, किन्तु हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम जटित रजत आभूषण की वस्तुऐं सम्मिलित हैं, आभूषण की वस्तुओं के विनिमार्ण या उत्पादन में लगा कोई निर्धारिती पात्र होगा, यदि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से संगणित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में गृह उपभोग के लिए सभी उत्पाद शुल्क्य माल की निकासी का उसका कुल मूल्य बारह करोड़ रुपए से अधिक नहीं था;

(ख) उपरोक्त (क) से भिन्न कोई निर्धारिती तभी पात्र होगा, यदि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से संगणित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में गृह उपभोग के लिए सभी उत्पाद शुल्क्य माल की निकासी का उसका कुल मूल्य चार सौ लाख रुपए से अधिक नहीं था ।"।

4. उक्त नियम के नियम 11 के उपनियम (8) के परंतुक में "और विनिर्माता द्वारा स्वप्रमाणित" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

5. उक्त नियम के नियम 12 में,--

(i) उपनियम (2) के खंड (क) और खंड (ख) में "वार्षिक वित्तीय सूचना विवरण" शब्दों के स्थान पर "वार्षिक विवरणी" शब्द रखे जाएंगे और उपखंड (क) में "विवरण" शब्दों के स्थान पर "विवरणी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपनियम (2) में खंड के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्:--

"(ग) इस उपनियम और उपनियम (8) के खंड (ख) के उपबंध यथाआवश्यक परिवर्तन सहित शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई को लागू होंगे ।";

(iii) उपनियम (2क) का लोप किया जाएगा ;

(iv) उपनियम (6) में "या वार्षिक वित्तीय सूचना विवरण या वार्षिक संस्थापित क्षमता विवरण" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(v) उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(8)(क) ऐसा कोई निर्धारिती, जिसने उस उपनियम या उसके दूसरे परंतुक के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप में विवरणी फाइल की है, उस कैलेंडर मास जिसमें मूल विवरणी फाइल की गई है, के अंत तक पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण : जहां कोई निर्धारिती खंड (क) के अधीन पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करता है अधिनियम की धारा 11क के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क यदि कोई है की वसूली के प्रयोजन के लिए "सुसंगत तारीख" ऐसी पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

(ख) ऐसा कोई निर्धारिती, जिसने उस उपनियम के खंड (क) में वर्णित नियत तारीख द्वारा उपनियम (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट वार्षिक विवरणी फाइल की है, उक्त वार्षिक विवरणी के प्रस्तुत करने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा ।

6. उक्त नियम के नियम 17 में उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(7) ऐसा कोई निर्धारिती, जिसने उस उपनियम के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर उपनियम (3) में निर्दिष्ट प्ररूप में विवरणी फाइल की है, उस कैलेंडर मास जिसमें मूल विवरणी फाइल की गई है, के अंत तक पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण : जहां कोई निर्धारिती इस उपनियम के अधीन पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करता है, अधिनियम की धारा 11क के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क यदि कोई है की वसूली के प्रयोजन के लिए "सुसंगत तारीख" ऐसी पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

7. उक्त नियम के, नियम 26 में उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"परंतु जहां शुल्क देने के दायी व्यक्ति के किसी कार्यवाही का समापन शुल्क, ब्याज या शास्ति की बाबत अधिनियम की धारा 11कग की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (घ) के अधीन किया गया है वहां उक्त कार्यवाहियों में अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध शास्ति की बाबत कोई कार्यवाही, यदि कोई है, को भी समाप्त समझा जाएगा ।

[फा.सं0 334/8/2016-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. 04/2002-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 143(अ) तारीख 1 मार्च, 2002 तथा सा.का.नि. 26/2015-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.) तारीख 18 दिसंबर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशित की गई थी, और सा.का.नि.986(अ) तारीख 18 दिसंबर, 2015 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।